Received - 24-01-2018.

दिनांक 20.01.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया है कि तिसरी,डुमरी और बिरनी में जियो टैग प्रतिशत क्रमशः 82,83 और 86 प्रतिशत है। यह सभी 13 प्रखण्डों में सबसे कम उपलब्धि है। दिनांक 24.01.2018 तक सभी प्रखण्डों को अपने लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत जियो टैग एवं प्रथम किस्त भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही तिसरी,डुमरी और बिरनी के सभी ग्राम रोजगार सेवकों को जियो टैग में खराब प्रदर्शन के कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही सख्त चेतावनी देते हुए हर हाल में चार दिनों के अन्दर जियो टैग में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु निदेश दिया गया तथा अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले रोजगार सेवकों की संविदा समाप्ति हेतु विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

सभी प्रखण्डों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का पंचायतवार कोटिवार अंतिम लक्ष्य का निर्धारण कर जिला को लिखित सूचना दिनांक 25.01.2018 तक उपलब्ध करायें। साथ ही 2018-19 का नया लक्ष्य हेतु पंचायतवार कोटिवार अधियाचना भी दिनांक 26.01.18 तक जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से सभी कनीय अभियंता के द्वारा किये गये जियो टैग की समीक्षा करें तथा जिला साप्ताहिक बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस बावत तय प्रारूप सभी सुपरवाईजर और प्रखण्ड समन्वयक को पूर्व में उपलब्ध कराया गया है जिसमें उन्हें प्रतिवेदन समर्पित करना है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जियो टैग की प्रक्रिया को सुलभ और सुरक्षित बनाने हेतु पंचायत स्तर पर जियो टैग पासवर्ड बनाकर दिया गया है जिसे सभी जियो टैग करने वाले कर्मी उपयोग करेंगे।

मनरेगा

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी के समीक्षा के क्रम में विगत बैठक में सभी सहायक अभियंता को आँगनबाड़ी केन्द्र का स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया गया था जिसके आलोक में सहा0 अभि0, बगोदर के द्वारा- 19, बेंगाबाद के द्वारा- 23, देवरी के द्वारा-18, डुमरी के द्वारा-15, गाण्डेय के द्वारा-25, सरिया के द्वारा-22, पीरटांड के द्वारा-25 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में सहा0 अभि0 को निदेश दिया गया कि वे शेष योजनाओं को स्थल पर जाकर निरीक्षण करें एवं उनके निर्माण में आने वाली कठिनाईयों को यथाशीघ्र दूर करें। यह भी निदेश दिया गया कि जिला में बैठक में आने के पहले कनीय अभियंता के साथ मिलकर लंबित योजनाओं की समीक्षा करें एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन करते हुए ससमय योजना को पूर्ण करें। भौतिक रूप से पूर्ण आँगनबाड़ी केन्द्र जिनकी संख्या प्रखण्डवार बगोदर में-47, बिरनी-37, धनवार-32, डुमरी-82, गाण्डेय-34, गावाँ-20, गिरिडीह-84, जमुआ-62, पीरटांड-19, सरिया-40, तिसरी-36 में से जिस आँगनबाड़ी केन्द्र Hand Over अब तक नहीं किया गया है उनका Hand Over कराने का निदेश दिया गया।

DBT

DBT की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गावाँ 84% एवं तिसरी का 83% है जिसपर उप विकास आयुक्त के द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि गावाँ, तिसरी, बगोदर एवं बेंगाबाद प्रखण्ड जिनका प्रतिशत सबसे कम है उसे हर हाल में शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

Delay Payment

Delay Payment के समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि T+7, T+8 को हर हाल में शून्य करना है। इस स्तर पर MIS में Pending परिलक्षित होने पर संबंधित कर्मी पर नियमानुसार अर्थदण्ड करने की चेतावनी दी गयी। पन्द्रह दिनों से अधिक Delay payment वाले प्रखण्ड गाण्डेय, देवरी, बिरनी, धनवार को दो दिनों के अन्दर इसे शून्य करने का निदेश दिया गया। गावाँ BPO को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में पन्द्रह दिनों से अधिक का Delay Payment नहीं होना चाहिए। देवरी, गिरिडीह, पीरटांड एवं डुमरी प्रखण्ड

के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को M.B. Pending रखने के कारण स्पष्टीकरण किया जाता है।

CML

CML की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए श्रमिकों का सत्यापन अविलम्ब करें।

Job Card Verification

Job Card Verification के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गिरिडीह जिले का Job Card Verification 99.79% है। शेष Job Card का Verification करते हुए शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

Pending Scheme

Pending Scheme की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय 2014-15 में बिरनी में 38, देवरी में 32, जमुआ में 23, सरिया में 11, तिसरी में 08 Scheme Pending है। इस संबंध में. निदेश दिया गया कि वैसी योजना जिसको Material Payment के बिना बंद किया जा सकता है, उस योजना को बन्द किया जाय।

Geo- Tagging

Geo- Tagging के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि Geo-Tagging ग्राम रोजगार सेवक से करवाया जाय एवं इसे शत प्रतिशत किया जाय।

Asset ID शत प्रतिशत Create करने का निदेश दिया गया है। इस मामले में लक्ष्य से पिछे रहने वाले बिरनी, पीरटांड एवं सरिया प्रखण्डों को निदेश दिया गया कि वे शत प्रतिशत Asset ID Create करें। During the Assets Creation तथा After Assets Creation के चरण में कम हो रहे Geo-Tag को बढ़ाने का निदेश दिया गया।

Reject Transaction

Reject Transaction की समीशा के क्रम में निदेश दिया गया कि Reject Transaction का विवरण निकाल कर उसकी त्रुटियों को दूर करते हुए उसे Regenerate किया जाय।

➢ Good Governance का प्रशिक्षण जिन प्रखण्डों में नहीं हुआ है वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम करने एवं इससे संबंधित विभागीय दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया है।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।

ज्ञापांक 179 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 24 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।